# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/44/2022 | 2022/108 | 04.02.2022 | 14.05.2024 |

1. मंगलसिंह रिटायर्ड विंग कमाण्डर भारतीय वायुसेना पुत्र स्वर्गीय नारायणसिंह जी दत्तक पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी जमालपुर तहसील व जिला अलवर राज०।

– अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र प्रभूसिंह राजपूत,
2. रामवीरसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत, निवासीयान जमालपुर तहसील व जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मालाखेडा नामांतकरण संख्या 485 दिनांक 08.08.2009 ।

उपस्थितः–

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता – वकील अपीलाण्ट
02. श्री विशम्भरदयाल गुप्ता –वकील रेस्पोडेन्ट

## –:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मालाखेडा नामांतकरण संख्या 485 दिनांक 08.08.2009 से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आदेश नामांतकरण दिनांक 08.08.2009 जो नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध अपील सामान्तया अंदर अवधि पेश है। अधीनस्थ अधिकारी ने आराजी खसरा न. 674/0–41, 675/0–51, 923/0–32, 924/0–02, 925/0–27 वाके ग्राम जमालपुर का इंतकाल एक विक्रयपत्र को आधार बनाकर स्वीकार किया है कि जिस पर हल्का पटवारी कानूगो ने रिपोर्ट की है कि कब्जा क्रेता का है एवं इसके बाबत कोई वाद विचाराधीन नहीं है। यक नोट पटवारी द्वारा कालम 16 में करना चाहिये इससे स्पष्ट है कि बननियती से बाद में जोडा है। विवादित आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के नोकर दारोगा सेजनसिंह का नाम दर्ज हो गया था चूंकि अपीलांट भारतीय सेना में सेवारत था इस कारण इस रिकॉर्ड बाबत उसे जानकारी नहीं हुई। जानकारी होने पर अपीलान्ट ने एक दावा बाबत संशोधन रिकॉर्ड व इस्तकाररहक न्यायालय उपजिलाधीश अलवर में दिनांक 23.07.1996 को पेश किया कि जो अभी तक लम्बित है एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आगामी पेश दिनांक 16.11.2009 की लगी हुई है। इस समय वाद सहायक कलक्टर अलवर के न्यायालय में लम्बित है। विवादित आराजी का राजनसिंह से कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है लेकिन रिकॉर्ड में मात्र नाम होने का लाभ उठाकर उसके रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया है कि जिसे भी वाद में चुनौती दे दी गई है।

हल्का पटवारी ने तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट की है कि विवादित आराजी पर क्रेता का कब्जा है एवं कोई वाद लम्बित नही है। लेकिन ये दोनों ही तथ्य गलत है। वाद लम्बित है कि जिसकी प्रति प्रस्तुत है। विवादित आराजी गत काफी अससे से अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के विपरीत इंतकाल स्वीकार किया है कि जो अपास्त होने योग्य है। आलोच्य इंतकाल बिना उचित जांच के स्वीकार किया गया है। जो अपास्त योगय है। आलोच्य इंतकाल के कारण अपीलाण्ट के जायल अधिकारों पर कुप्रभाव पड रहा है एवं पक्षकारों में मुकदमाबाजी की पूर्ण संभावना है। विवादित आराजी खसरा न0 924 में रिहायशी हवेली अरसा करीब 30–31 साल से अपीलान्ट द्वारा बना रखी है। जिसमें वादी अपीलांट के चचेरे भाई हनुमानसिंह एवम उसका परिवार रिहायश रखे हुए हैं बिजली का कनेक्शन एवं टेलीफोन को कनेक्शन हुनमानसिंह के नाम से काफी पुराना लिया हुआ है। तथा खसरा न0 674,675 पर अरहर एवं 923, 925 पर अरहर, बाजरा एवं चरी की फसल अपीलान्ट की खडी हुई है। अन्य उजरात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य इंतकाल को अपास्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान की साइटेशन 2022(1)आर0आर0टी0 607 एवं सर्मन बनाम जवाहरलाल रिवीजन न0 131/भरतपुर ऑफ 2002(आई0डी न0 6845/02) निर्णय दिनांक 22.11.2005 पेश किये हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील इंतकाल संख्या 485 के विरूद्ध पेश की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त इंतकाल रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.03.2009 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बयनामा आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त बयनामा को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में बाद लम्बित होने का कथन किया है। जिसमें अपीलान्ट के हक तय होने हैं। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर0आर0डी0 2003 पेज 176 में तय किया है। इस प्रकार केवल माननीय न्यायालय में वाद लम्बित होने के आधार पर बयनामे के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को खारिज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी नामान्तकरण की कार्यवाही पक्षकार के अधिकार तय नहीं होते है। अपीलान्ट अपने अधिकार न्यायालय में विचाराधीन वाद में अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतः अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील खारिज किए जाने के आदेश सादिर फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में साइटेशन आर0आर0डी0 2003 पेज 276, आर0आर0डी0 2001 पेज 223, आर0आर0डी0 2011 पेज 31 एवं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आर0आर0टी0 2019(1) पेज 593 तथा न्यायालय ए0डी0जे0 3 अलवर का उनवानी प्रकरण हनुमानसिंह बनाम बाबूसिंह दिनांक 20.07.2019 पेश किये हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। नामान्तकरण बयनामे के आधार पर जारी किया गया है। जो विधिवत है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर